संख्या-11 /2020/सा0-89/38-2-2020-सा0-1133/18टीसी

प्रेषक,

अच्छे लाल सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 19 मार्च, 2020**

विषय:- जनपद-उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-7/2020/सा0-49/38-2-2020-सा0-1133/18टीसी दिनांक 14 फरवरी, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके, द्वारा जनपद-उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज के आवासीय/ अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद् (ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0) लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए आकलित लागत रू0 204.97 लाख (रूपये दो करोड़ चार लाख सत्तान्नबे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 102.485 लाख (रूपये एक करोड़ दो लाख अड़तालीस हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुये व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- तत्क्रम में कार्यदायी संस्था उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद् के वरिष्ठ अभियन्ता के पत्र संख्या-853/ग्रा0 आ0परि0, दिनांक 06.03.2020 द्वारा यह अवगत कराया गया कि कतिपय परिस्थितियों के कारण जनपद-उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद् (ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0) लखनऊ द्वारा कराया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा। उक्त के क्रम में आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-8223/बजट/सामु0वि0/2019-20, दिनांक 16 मार्च, 2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उन्नाव उसी दर पर प्राक्कलन लागत रू0 204.97 के अनुसार कार्य सम्पादित करने पर सहमत है। अत: सहमति पत्र के दृष्टिगत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उन्नाव को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0,लखनऊ के पत्र दिनांक 16 मार्च,2020 द्वारा किये गये अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-7/2020/सा0-49/38-2-2020-सा0-1133/18टीसी दिनांक 14 फरवरी, 2020 को संशोधित करते हुये जनपद-उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद् (ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0) लखनऊ के स्थान पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उन्नाव को पूर्व में स्वीकृत प्राक्कलन की लागत रू0 204.97 के अनुसार कार्य सम्पादित करने हेतु कार्यदायी संस्था नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- उक्त शासनादेश संख्या-7/2020/सा0-49/38-2-2020-सा0-1133/18टीसी दिनांक 14 फरवरी, 2020 में उल्लिखित शर्तें/प्रतिबंध यथावत रहेंगे तथा शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

अच्छे लाल सिंह यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-11/2020/सा0-89(1)/38-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- अपर आयुक्त, (वित्त) ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, उन्नाव।
5- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उन्नाव।
6- कोषाधिकारी, उन्नाव।
7- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उन्नाव।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
9- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्राखण्ड, उन्नाव ।
10- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद् (ग्राम्य विकास विभाग,उ0प्र0)लखनऊ।
11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।